भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 723
सोमवार, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

होटल उद्योग को अवसंरचना का दर्जा

723. श्रीमती रंजनबेन भट्टः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में होटल उद्योग को अवसंरचना का दर्जा देने की कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): जी, हां । पर्यटन मंत्रालय द्वारा होटल उद्योग को अवसंरचना का दर्जा दिए जाने संबंधी प्रस्ताव समय-समय पर आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं । आतिथ्य उद्योग की मांग और पर्यटन क्षेत्र सहित अवसंरचना के सृजन पर सरकार द्वारा बल दिए जाने के मद्देनजर 23.03.2021 को एक विस्तृत प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया था जिसमें होटल उद्योग को दिए गए अवसंरचना दर्जे की परिभाषा में संशोधन का अनुरोध किया गया था।

वित्त मंत्रालय ने उपरोक्त पर विचार करने के बाद दिनांक 26.04.2021 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अवसंरचना की परिभाषा में प्रदर्शनी – सह- सम्मेलन केंद्रों को शामिल किया है । अब समेकित मास्टर सूची (एचएमएल) में पर्यटन अवसंरचना से संबंधित निम्नलिखित घटक शामिल हैं : -

1. एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरों के बाहर अवस्थित तीन-सितारा अथवा उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल
2. रोपवेज़ तथा केबल कार
3. प्रदर्शनी – सह – सम्मेलन केंद्र

*****